

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी, जिला जोधपुर

रेखा जैन

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 103/2026

अन्तर्गत धारा :- 131 व 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-05-26	<p>प्रार्थीया रेखा जैन निवासी प्लॉट नं 7 सुभाषचन्द्र बोस कॉलोनी, डिफेन्स लेब रोड़ रातानाड़ा जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 33/35 व 34/15 की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम मौका-कब्जा/विधिक दस्तावेज के आधार पर ऑनलाईन भू-नक्शा में तरमीम दुरुस्त करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार लूणी को जांच लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमांक भू. अ./2026/1581 दिनांक 30.04.2026 के द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई।</p> <p>प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सालावास के खसरा नंबर 33 की ऑनलाईन तरमीम नक्शे में तरमीम शुद्धि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार शुद्ध करने की अनुशंषा की गई।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीया की कृषि भूमियां ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 33/35 व 34/15 की तरमीम वर्तमान राजस्व रैकर्ड में मौका एवं कब्जाकाश्त अनुसार नहीं है जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका कब्जा-काश्त/विधिक दस्तावेज अनुसार करने का निवेदन किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी बताया गया कि उक्त खसरों की ऑनलाईन तरमीम डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत लिपिकिय त्रुटिवश गलत/अशुद्ध दर्ज हो गयी है जिसे मौका एवं पंजीबद्ध बेचाननामें अनुसार शुद्ध किया जाना अपेक्षित बताया है।</p> <p>अतः प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व रैकर्ड में तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंषा किये जाने पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत तरमीम दुरुस्ती हेतु स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेशित किया जाता है ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी के खसरा संख्या 33/35 व 34/15 की तरमीम राजस्व रैकर्ड में तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा एवं मौका फर्द दिनांक 10.04.2026 के अनुसार शुद्ध किया जाकर रैकर्ड दुरुस्ती का अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

हंसमुख कुमार आर. ए. एस.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी